प्राचार्य का कार्यालयः श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1725/24 मुज0, दिनांकः– 04/09/24

कार्यालय आदेश

प्रेषित,

उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज, प्रा0लि0
पटना

एतद् द्वारा संसुचित करते हुये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा इस संस्थान में कार्यरत चिकित्सक/शिक्षक एवं कर्मियों तथा अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सुरक्षा एव संरक्षा हेतु अधिसूचित किया गया है। साथ ही सत्र 2024 के नव–नामांकित छात्र/छात्राओं का रैगिंग की घटनाओं के रोकथाम हेतु विद्यार्थियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना निहित है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा दिया गया सुरक्षा बल को अपने स्तर से सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षा प्रहरी को कार्य स्थल एवं आवागमन के सारे गतिविधियों पर मुस्तैदी से कार्य करने हेतु निदेशित करेंगे।

सभी गतिविधियों को सुपरवाईजर इस कार्य को तीनों सिफ्टों में मॉनिटरिंग करेंगे ।

Abha Rani Sinha
4/9/24.

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

प्राचार्य का कार्यालयः श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः————————/   मुज0, दिनांकः————————/

कार्यालय आदेश

प्रेषित,

उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज, प्रा0लि0
पटना

एतद् द्वारा संसुचित करते हुये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा इस संस्थान में कार्यरत चिकित्सक/शिक्षक एवं कर्मियों तथा अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सुरक्षा एव संरक्षा हेतु अधिसूचित किया गया है। साथ ही सत्र 2024 के नव–नामांकित छात्र/छात्राओं का रैगिंग की घटनाओं के रोकथाम हेतु विद्यार्थियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना निहित है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा दिया गया सुरक्षा बल को अपने स्तर से सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षा प्रहरी को कार्य स्थल एवं आवागमन के सारे गतिविधियों पर मुस्तैदी से कार्य करने हेतु निदेशित करेंगे।

सभी गतिविधियों को सुपरवाईजर इस कार्य को तीनों सिफ्टों में मॉनिटरिंग करेंगे ।

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक 1725/24/   मुजफ्फरपुर, दिनांक 04/09/24/

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य वार्डेन/सभी वार्डेन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी विद्यार्थियों, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सूचना पट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेषित।

Abha Rani Sha
4/9/24.

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर
4/9/24

Dr Viswajyoti / Balbhadra
30/8/24

संoसंo–18 / एम–35/2023– 1342 (18)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार।
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
प्राचार्य, सभी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार।
अधीक्षक, सभी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, राजवंशीनगर, पटना / राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना / निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना / मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर / फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर / यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना / लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
अधीक्षक, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना / संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना / लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गया / एमoजेoकेo अस्पताल, बेतिया।
सभी नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।

पटना, दिनांक 29/8 / 2024

विषय : चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के उपाय हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–01 / SCI/SMWR/DGHS/2024, दिनांक–27.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के सम्बन्ध केन्द्रीय गृह सचिव एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की सह–अध्यक्षता में दिनांक–28.08.2024 को वर्चुअल बैठक के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में आपके नियंत्राधीन राज्य के चिकित्सा संस्थानों के कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :–

(i) सभी चिकित्सा संस्थानों में स्थापित CCTV कैमरा 24 X 7 चालू रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिष्ठापित कैमरा महत्वपूर्ण स्थानों पर Well dircted हो तथा हर हाल में यह कार्यशील रहे। CCTV कैमरा की रिकार्डिंग कम से कम 48 घण्टे तक सुरक्षित रखी जाय। जिन संस्थानों में अभी तक CCTV कैमरा नहीं लगा है, अविलंब लगाने की व्यवस्था की जाय।

(ii) चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा हेतु एजेंसियों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के सुरक्षित आवागमन तथा अस्पताल भवन अन्य क्षेत्रों में रात्रि के समय निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए।

(iii) चिकित्सा संस्थानों के सम्पूर्ण परिसर में समुचित प्रकाश की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

(iv) चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी का रात्रि गश्ती की व्यवस्था को और सुदृढ़ रूप किया जाय एवं इसका सतत अनुश्रवण किया जाय।

(v) चिकित्सा संस्थानों में स्थापित नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ करते हुए सुरक्षा संबंधी मानकों का अनुश्रवण समय–समय पर किया जाए।

(vi) सभी चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी अपने निकटवर्ती थाना से लगातार सम्पर्क बनाये रखते हुए, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन
29/8/24
(संजय कुमार सिंह)

Sri Krishan Medical College, Muz.
Letter No:- 5558/24
Date:- 30/08/24
Receiver Sign

D>2024>sec-2 letter (M)